न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 140/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/234)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. उग्रसेन पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 16 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. हंसराज पुत्र हजारी राम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 16 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3. पतासी देवी पत्नी उग्रसेन जाति बिश्नोई निवासी 2 एफ सी मुकन श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।		1. बंसीलाल पुत्र कर्मचन्द जाति ब्राह्मण निवासी 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। 2. रामसत पुत्र भोलूराम जाति बावरी निवासी 1 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 3. वेदप्रकाश पुत्र रामकृष्ण जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 16 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 4. सतीया पुत्र मघाराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 16 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 24.07.2024

उपस्थितः1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण
2.श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

---निर्णय--- **दिनांकः17.07.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 1 एफसी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 217/213 के मुरब्बा नम्बर 117, 124 की कुल 12.650 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है और उसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक गांव के सदस्य है। उक्त भूमि का वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने अपनी सुविधाओं के अनुसार मौखिक बंटवारा कर रखा है। वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारानामा मुताबिक अपनी-अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफसी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 217/213 के मुरब्बा नम्बर 117, 124 की कुल 12.650 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के कब्जाकाश्त अनुसार अन्य सहखातेदारान से विधिवत जोत विभाजन करवाकर खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आएं जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 1 एफसी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 217/213 के मुरब्बा नम्बर 117, 124 की कुल 12.650 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण उग्रसेन, हंसराज, पतासी व प्रतिवादी संख्या 3 वेदप्रकाश के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 1780 दिनांक 02.07.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 एफसी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 217/213 के मुरब्बा नम्बर 117, 124 की कुल 12.650 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.		रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	उग्रसेन पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई साकिन 2 एफ सी (2.530 हैक्टेयर) पतासी देवी पत्नी उग्रसेन जाति बिश्नोइ साकिन 2 एफ सी (2.377 हैक्टेयर) हंसराज पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई साकिन 2 एफ सी (1.418 हैक्टेयर)	1 एफ सी	117	1 ता 25	6.325 हैक्टेयर	नहरी	42.50
2	वेदप्रकाश पुत्र रामकृष्ण जाति बावरी साकिन 2 एफ सी (0.822 हैक्टेयर)	2 एफ सी	124	5, 6 15 16	0.506 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.063 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	3.40 1.70 0.42

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर ए एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर ए एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
उग्रसेन आदि बनाम बंसीलाल आदि
धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 140/2024
निर्णय दिनांक :-17.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 1 एफसी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 217/213 के मुरब्बा नम्बर 117, 124 की कुल 12.650 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.		रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	उग्रसेन पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई साकिन 2 एफ सी (2.530 हैक्टेयर) पतासी देवी पत्नी उग्रसेन जाति बिश्नोइ साकिन 2 एफ सी (2.377 हैक्टेयर) हंसराज पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई साकिन 2 एफ सी (1.418 हैक्टेयर)	1 एफ सी	117	1 ता 25	6.325 हैक्टेयर	नहरी	42.50
2	वेदप्रकाश पुत्र रामकृष्ण जाति बावरी साकिन 2 एफ सी (0.822 हैक्टेयर)	2 एफ सी	124	5, 6 15 16	0.506 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.063 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	3.40 1.70 0.42

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।
आज दिनांक 22.07.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	504	00	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/ 2025/534 दिनांकः 22.07.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner